

मुख्य आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER वस्त् एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क, विशाखापट्टणम क्षेत्र



GOODS AND SERVICE TAX AND CUSTOMS, VISAKHAPATNAM ZONE

स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.26/2019 Establishment Order (NGO) No.26/2019 दिनाँक: 04 नवम्बर, 2019/ Dated 04th November, 2019

विषय- निरीक्षक कैडर में स्थानान्तरण और तैनाती- के संबंध में।

Sub: Transfer and Posing in the Cadre of Inspectors- regarding

निरीक्षकों के विशाखापट्टणम जोन में स्थानांतरण करने के संबंध में और प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर (सं.नि.प्रा.), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी दिनाँक 16.10.2019 के स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.107/2019 एवं दिनाँक 28.10.2019 के स्थापना आदेश (अराजपत्रित) सं.109/2019 के अनुसरण में और सक्षम प्रधिकारी के अनुमोदन से निरीक्षक संवर्ग में निम्नलिखित स्थानान्तरण और तैनाती, तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए किये जाते हैं।

Pursuant to issue of EO(NGO)No.107/2019 dated 16.10.2019 & EO(NGO) No.109 /2019 dated 28.10.2019 by Principal Commissioner of Central Tax (CCA), Hyderabad GST Commissionerate and with the approval of the Competent Authority, the following transfer and posting in the cadre of Inspectors in Visakhapatnam Zone is ordered with immediate

क्रम सं./ Sl. No.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)/ Name of the Officer (S/Shri/Ms./Smt.)	तैनाती की वर्तमान जगह। Present Place of Posting	जहाँ तैनात किया गया/ Where Posted
1	P. Sujathamma	On allotment	Tirupati GST
2	Sanjay Kumar	On repatriation from RGIA, Hyderabad	Vizag GST
3	Saladi Pavan Sri Jagannadh	Audit Commissionerate	Appeals Commissionerate (On loan basis for 03 months)

2. आयुक्तालय में कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने की तारीख और विनिर्दिष्ट तैनाती की सूचना इस कार्यालय को दी जाए। The date of relief/joining and further specific posting of the officers in the Commissionerate may be intimated to this office.

3. अधिकारियों क्रम सं.1एवं2 को निर्देशित किया जाता है कि वे सीधे उस आयुक्तालय में रिपोर्ट करें जहाँ उनको आवंटित किया गया है। क्रम सं.3 को तीन महीने के लिए ऋण आधार पर अपील आयुक्तालय में तैनात किया जाता है। उनको लेखा परीक्षा आयुक्तालय के संस्वीकृति कार्मिक संख्या में ही जारी रखा जाएगा। उनको नये तैनाती की जगह पर कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त कार्यमुक्त किया जाए।

The officers mentioned at Sl.No.1 & 2 are directed to report directly to the Commt'e where allotted. Officer at Sl.No.3 is posted to Appeals Commissionerate on loan basis for a period of 3 months. He will continue to remain on the sanction strength of Audit Commissionerate. He may be relieved immediately to join his new place of posting.

आवश्यक प्रविष्टियाँ प्रासंगिक रिकार्ड में दर्ज की जाए।

The necessary entries may be made in the relevant records

(सहायक आयुक्त /Assistant Commissioner)

[फा.सी.नं.II/03/02/2018-सीसी(वी.जेड)स्था. से जारी/ Issued from file C.No.II/03/02/2018-CC(VZ)Estt] प्रति/To: संबंधित अधिकारी को/The Individuals